The Hindu plus Summary : 02.03.2024

मेन्स मास्टर

भारत की फ़िलिस्तीन नीति में परिवर्तन एवं निरंतरता

• फ़िलिस्तीन के लिए ऐतिहासिक समर्थन:

• अरब ब्लॉक के साथ गठबंधन (1947): भारत ऐतिहासिक रूप से अरब ब्लॉक के साथ जुड़ गया, 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ खड़ा हुआ, ऐतिहासिक फिलिस्तीन को विभाजित करने के खिलाफ उनके रुख में अरब देशों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

• इज़राइल के साथ सावधानीपूर्वक संतुलन (1992 से आगे): 1992 से इज़राइल के साथ मजबूत संबंध बनाने के बावजूद, भारत ने फिलीस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को बरकरार रखते हुए इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए एक नाजुक संतुलन बनाया है।

• 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बदलाव:

• इजरायल के साथ एकजुटता: 7 अक्टूबर के हमास हमले के जवाब में, प्रधान मंत्री मोदी ने इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त की, जो इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के प्रति भारत के रुख में संभावित बदलाव का प्रतीक है।

• यूएनजीए वोट से परहेज: यूएनजीए वोट से दूर रहने के भारत के फैसले ने, जिसने गाजा में मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया, चिंताएं बढ़ा दीं और भारत के पारंपरिक संतुलन अधिनियम से संभावित विचलन के बारे में चर्चा शुरू कर दी।

• भारत की फ़िलिस्तीन नीति का विकास:

• व्यावहारिक रुख 1992 के बाद: वर्षों के दौरान, भारत की नीति एक संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य के लिए बातचीत के जरिए समाधान की कट्टर वकालत से लेकर अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण तक विकसित हुई, जो बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है।

• मोदी की 2018 की रामल्ला यात्रा: प्रधानमंत्री मोदी की 2018 में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रामल्लाह की यात्रा ने एक सूक्ष्म बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि उन्होंने यरुशलेम की स्थिति और सीमाओं जैसे विवादास्पद मुद्दों को स्पष्ट रूप से संबोधित किए बिना बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया।

• 7 अक्टूबर के बाद का मतदान रिकॉर्ड:

• संयुक्त राष्ट्र में सूक्ष्म स्थिति: 7 अक्टूबर के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के मतदान रिकॉर्ड ने एक सूक्ष्म स्थिति को दर्शाया, कूटनीतिक दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, किसी भी चरम के साथ गठबंधन से सावधानीपूर्वक परहेज किया।

• संकल्पों के लिए समर्थन (नवंबर-दिसंबर 2023): भारत ने इजरायली बस्तियों की निंदा करने, गोलान हाइट्स पर कब्जे पर चिंता व्यक्त करने, युद्धविराम का आह्वान करने और फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का समर्थन करने वाले प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, जो एक बहुमुखी रुख का संकेत देता है।

• संतुलन अधिनियम बनाए रखा गया:

• कोई मजबूत नैतिक आलोचना नहीं: 7 अक्टूबर के बाद भारत का रुख न तो इजरायल की कड़ी आलोचना करता है और न ही पूरी तरह से उसके साथ जुड़ता है, जो निरंतर राजनयिक संतुलन अधिनियम का प्रदर्शन करता है।

• कूटनीति पर जोर: भारत का दृष्टिकोण दो-राज्य समाधान के लिए कूटनीति के महत्व पर जोर देता है, इजरायली बस्तियों की निंदा करता है, और एक सूक्ष्म रणनीति का प्रदर्शन करते हुए फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है।

• भारत के हित:

• सीमित समर्थन मूर्त हितों में निहित है: फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए भारत का सीमित समर्थन मूर्त राष्ट्रीय हितों में निहित है, क्योंकि गाजा में मानवीय त्रासदी के बारे में चिंताएं वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की भारत की व्यापक आकांक्षाओं के साथ संरेखित हैं।

• क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव:

• अरब-इज़राइल सुलह में रुकावट: 7 अक्टूबर के हमले और इज़राइल की प्रतिक्रिया ने भारत के रणनीतिक विचारों को बाधित कर दिया है, जिससे आगे अरब-इजराइल सुलह में रुकावट आ गई है।

• आईएमईसी योजनाओं पर प्रभाव: यह घटनाक्रम भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के लिए भारत की योजनाओं को प्रभावित करता है, जिससे पता चलता है कि क्षेत्रीय गतिशीलता भारत के व्यापक आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करती है।

• भारत की एक्ट वेस्ट नीति का मार्गदर्शक मूल:

• म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में जयशंकर की आलोचना: म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री जयशंकर की इज़राइल के युद्ध की आलोचना गाजा में नागरिक हताहतों के बारे में भारत की चिंताओं को दर्शाती है, जो संघर्ष में भारत के रुख की जटिलता को रेखांकित करती है।

• पश्चिम एशिया में स्थिरता पर जोर: भारत युद्ध को तत्काल समाप्त करने, पश्चिम एशिया में स्थिरता की बहाली और भारत की एक्ट वेस्ट नीति के आवश्यक घटकों के रूप में फिलिस्तीन प्रश्न के स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल देता है।

भारत में मृत्युदंड का संकट बढ़ रहा है

प्रसंग:

• भारत में मृत्यु पंक्ति की आबादी बढ़ रही है, जो 2004 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।

• उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड के मामलों के एक महत्वपूर्ण हिस्से (2023 में 55%) को बरी कर दिया।

पृष्ठभूमि:

• सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा संबंधी दिशानिर्देशों में सुधार करने का प्रयास किया है। हालाँकि, ट्रायल कोर्ट इन दिशानिर्देशों का पालन किए बिना मौत की सजा देना जारी रखते हैं।

• उच्च न्यायालय शायद ही कभी मौत की सजा की पुष्टि करते हैं।

ट्रायल कोर्ट से जुड़ा मुद्दा:

• ट्रायल कोर्ट उचित सजा प्रक्रियाओं पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

• इससे अविश्वसनीय दोषसिद्धि होती है और अपील पर बड़ी संख्या में लोग बरी हो जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पहल:

• उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा को संबोधित करने के लिए एक संविधान पीठ की स्थापना की।

बहुत छोटा बहुत लेट:

• केवल सजा सुधार पर ध्यान केंद्रित करना अपर्याप्त हो सकता है।

• यह संकट सज़ा देने से लेकर पुलिस जांच और जेल की स्थिति सहित पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली के मुद्दों तक फैला हुआ है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रणालीगत समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

• बरी होने की उच्च दर मृत्युदंड के मामलों में त्रुटियों के जोखिम को उजागर करती है।

स्क्रिप्ट को डिकोड करना

प्रसंग:

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ने 10,000 भारतीय जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है।

• यह उपलब्धि भारतीय मानव जीनोम के लिए पहले व्यापक संदर्भ बिंदु के निर्माण का प्रतीक है, जो भविष्य के अनुसंधान के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है।

पृष्ठभूमि:

• इस परियोजना से पहले, भारत सामान्य मानव जीनोम संदर्भों पर निर्भर था, जिसमें इसकी जनसंख्या से संबंधित विशिष्ट विवरणों का अभाव था।

• लगभग 4,500 जनसंख्या समूहों और जातियों के भीतर अंतर्विवाह के इतिहास के साथ देश की विशाल विविधता, संभावित दुर्लभ आनुवंशिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट संदर्भ जीनोम की आवश्यकता होती है।

जीनोम अनुक्रमण क्या है?

• जीनोम अनुक्रमण किसी व्यक्ति की संपूर्ण आनुवंशिक संरचना, या डीएनए कोड को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह विश्लेषण किसी व्यक्ति के वंशानुगत गुणों और बीमारियों के प्रति संभावित संभावनाओं के बारे में प्रचुर जानकारी प्रदान करता है।

यह भारतीयों की कैसे मदद करेगा:

• रोग की बेहतर भविष्यवाणी और रोकथाम: संदर्भ भारतीय जीनोम की अलग-अलग जीनोम से तुलना करके, वैज्ञानिक भारतीय आबादी में प्रचलित बीमारियों से जुड़ी आनुवंशिक विविधताओं की पहचान कर सकते हैं। परिच्छेद में उद्धृत उदाहरण भारतीयों में हृदय विफलता के उच्च जोखिम से जुड़े जीन संस्करण की खोज है। इस ज्ञान का उपयोग जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर स्क्रीनिंग कार्यक्रम और निवारक उपाय विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

अन्य लाभ:

• भारतीय आबादी की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना को समझना: जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का डेटा भारतीय लोगों की विशिष्ट आनुवंशिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा। यह ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि लक्षित दवाएं विकसित करना या भारतीय आबादी की आनुवंशिक संरचना के अनुरूप वैयक्तिकृत चिकित्सा दृष्टिकोण विकसित करना। यह भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर मानव इतिहास और प्रवासन पैटर्न के बारे में हमारी समझ में भी सुधार कर सकता है।

मुख्य चिंता:

• अनुसंधान निष्कर्षों को साझा करना और पहुंच: परियोजना यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है कि अनुसंधान निष्कर्ष अकादमिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए "कल्पनाशील सहयोग" की आवश्यकता है कि यह ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों, छात्रों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नैतिकतावादियों और सामाजिक वैज्ञानिकों सहित विभिन्न हितधारकों तक पहुंचे। इन निष्कर्षों तक पहुंच सीमित करने से आगे के अनुसंधान और विकास में बाधा आती है और भारतीय आबादी के लिए संभावित लाभों में देरी होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

• **10,000 से अधिक जीनोम का अनुक्रमण:** वर्तमान नमूना आकार एक मूल्यवान प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है, लेकिन अधिक मजबूत और प्रतिनिधि संदर्भ जीनोम बनाने के लिए भारतीय आबादी की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने वाला एक बड़ा नमूना आवश्यक है।

• **वैज्ञानिकों, छात्रों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना:** शोधकर्ताओं, छात्रों, चिकित्सा पेशेवरों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने से वैज्ञानिक प्रगति में तेजी आएगी, स्वास्थ्य देखभाल में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और इन निष्कर्षों का नैतिक अनुप्रयोग सुनिश्चित होगा।

• **नैतिक विचारों और शोध निष्कर्षों तक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना:** सूचित सहमति और डेटा गोपनीयता जैसे नैतिक विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परियोजना के लक्ष्यों और निष्कर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, जनता को अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने और भविष्य के अनुसंधान प्रयासों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम आवश्यक हैं।

प्रीलिम्स बूस्टर

भारत बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करेगा

- 🐅 केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में अच्छी प्रथाओं के प्रसार में पहल का नेतृत्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका मुख्यालय भारत में होगा, जिसमें भारत पांच वर्षों के लिए ₹150 करोड़ का योगदान देगा। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तर्ज पर बनाई गई है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाघ संरक्षण में भारत के वैश्विक नेतृत्व का लाभ उठाना है।
- 🌍 आईबीसीए का लक्ष्य बड़ी बिल्लियों के उनके निवास स्थान में संरक्षण चुनौतियों का समाधान करना है, 16 देश पहले ही गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए अपनी लिखित सहमति दे चुके हैं। गठबंधन अन्य देशों, संरक्षण संगठनों, वैज्ञानिक संगठनों, व्यवसायों और बड़ी बिल्लियों का समर्थन करने में रुचि रखने वाले कॉरपोरेट्स के लिए खुला है। यह सहयोगी दृष्टिकोण संसाधनों का लाभ उठाने और बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में प्रथाओं और प्रक्रियाओं के इष्टतम उपयोग में अंतर को पाटने का प्रयास करता है।
- 🌐 गठबंधन तकनीकी जानकारी और धन के कोष के लिए एक केंद्रीय आम भंडार के रूप में काम करेगा, मौजूदा प्रजाति-विशिष्ट अंतर-सरकारी प्लेटफार्मों, नेटवर्क और संरक्षण और संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय पहल को मजबूत करेगा। सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करके, आईबीसीए का लक्ष्य भारत में विकसित सफल संरक्षण रणनीतियों को अन्य श्रेणी के देशों में दोहराने की सुविधा प्रदान करना है।
- 👮 सदस्य देशों में फ्रंटलाइन स्टाफ को बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और वन्यजीव निगरानी में अनुसंधान और विकास के लिए स्थानीय समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण स्थानीय हितधारकों को सशक्त बनाकर और प्रभावी वन्यजीव प्रबंधन सुनिश्चित करके संरक्षण प्रयासों की क्षमता को बढ़ाएगा।
- 🏞️ इसके अतिरिक्त, जंगलों के पास रहने वाले समुदायों को पर्यावरण-पर्यटन और आजीविका के अवसर विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आर्थिक विकल्प तैयार करना है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके और मनुष्यों और बड़ी बिल्लियों के सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके।

दिल्ली HC ने राम मंदिर ट्रस्ट पर CIC का आदेश रद्द कर दिया

🏛️ दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा जारी एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा मांगी गई कर छूट/कटौती से संबंधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर का प्रबंधन करता है.

🛕 राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2020 में स्थापित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग ₹3,500 करोड़ का दान एकत्र किया है और मंदिर के निर्माण के बाद से ₹25 करोड़ तक का दान प्राप्त किया है। जनवरी 2022 में अभिषेक।

🟫 आयकर अधिनियम की धारा 80जी(2)(बी) के तहत कर छूट/कटौती के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा दायर आवेदनों का पूरा विवरण साझा करने के लिए नवंबर 2022 में सीआईसी का सीबीडीटी को निर्देश दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में था। कैलाश चंद्र मूंदड़ा द्वारा, जिन्होंने ट्रस्ट डीड की एक प्रति भी मांगी।

⚖️ 28 फरवरी को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि याचिकाकर्ता आयकर अधिनियम के तहत उचित प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए खुला है, सरकार के वकील ने कहा कि एक निर्धारिती से संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(1)(बी) के मद्देनजर आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान किया गया।

एनबीडीएसए ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तीन समाचार चैनलों को फटकार लगाई

📺 समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (एनबीडीएसए) ने तीन टीवी समाचार चैनलों को सांप्रदायिक मुद्दों पर कुछ कार्यक्रमों के वीडियो हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि उन्होंने आचार संहिता और अन्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, और उनमें से दो पर जुर्माना लगाया है।

🚫 टाइम्स नाउ नवभारत पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया गया और आचार संहिता और प्रसारण मानकों, विशेष रूप से निष्पक्षता, निष्पक्षता, तटस्थता और सटीकता से संबंधित सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए सात दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट, यूट्यूब और हाइपरलिंक से एक कार्यक्रम वीडियो को हटाने का निर्देश दिया गया। .

🚫 न्यूज़18 इंडिया को श्रद्धा वाकर हत्या मामले और कथित "लव जिहाद" पर चार कार्यक्रमों के लिए एनबीडीएसए द्वारा चेतावनी दी गई थी, जिसमें ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया था और आदेश के सात दिनों के भीतर सभी ऑनलाइन प्लेटफार्मों से वीडियो हटाने का निर्देश दिया गया था।

🚫 31 मार्च, 2023 को प्रसारित आज तक के कार्यक्रम में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई, विशेष रूप से बिहार के नालंदा में एक मस्जिद और मुस्लिम दुकानों और घरों को जलाने और पुलिस की देरी से प्रतिक्रिया का उल्लेख करने में विफल रहने के लिए।

न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) [पूर्व में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) के रूप में जाना जाता था] निजी टेलीविजन समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत में समाचार, समसामयिक मामलों और डिजिटल प्रसारकों की सामूहिक आवाज़ है। यह पूरी तरह से अपने सदस्यों द्वारा वित्त पोषित संगठन है। एनबीडीए के वर्तमान में 27 प्रमुख समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारक (125 समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल) इसके सदस्य हैं। एनबीडीए बढ़ते उद्योग को प्रभावित करने वाले मामलों पर सरकार के समक्ष एक एकीकृत और विश्वसनीय आवाज प्रस्तुत करता है।

FIU ने लगाया ₹5.49 करोड़। पीएमएलए चूक के लिए पेटीएम बैंक पर जुर्माना

- फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने बैंक में संस्थाओं द्वारा रखे गए खातों के माध्यम से अवैध गतिविधि से उत्पन्न धन के पर्याप्त सबूत मिलने के बाद, धन शोधन निवारण अधिनियम के उल्लंघन के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर ₹5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है। . 🏦💰
- एफआईयू-आईएनडी ने ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा प्रदान करने सहित अवैध कार्यों में संलग्न संस्थाओं के बारे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से "विशिष्ट जानकारी" प्राप्त करने के बाद पीपीबीएल के संचालन की समीक्षा शुरू की, इन अवैध संचालन से उत्पन्न धन को बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता है। पीपीबीएल के साथ ये संस्थाएं। 🤵🏦
- पीपीबीएल के प्रवक्ता के मुताबिक, जुर्माना एक बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से संबंधित है जिसे दो साल पहले बंद कर दिया गया था। एफआईयू ने पीपीबीएल को केवाईसी, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया, जिससे संस्थाओं को अपने खातों के माध्यम से अपनी अवैध गतिविधियों की आय को स्थानांतरित करने की अनुमति मिली। 🚫🏦